

अक्टूबर 2020

## PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **कोविड-19**
  - उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय
  - तरलता और ऋण प्रवाह
  - पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2006
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
  - वर्ष 2020-21 की दूसरी त्रिमाही में CPI आधारित मुद्रास्फीति
  - पॉलिसी रेपो दर और रविर्स रेपो दर
- **वित्त**
  - GST मुवावज़े की कमी को पूरा करने के लिये उधारी योजना
  - स्टैंडअलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी
  - साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस
  - नयामक सैंडबॉक्स के लिये फ्रेमवर्क
  - त्वरति प्रतिक्रिया कोड की अंतर-संक्रयिता
- **पर्यावरण**
  - वायु गुणवत्ता परबंधन
  - पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020
  - खतरनाक और अन्य अपशष्टि संशोधन नियम, 2020
  - स्टॉकहोम कन्वेंशन
- **श्रम एवं रोज़गार**
  - कारखाना अधिनियम, 1948
  - राष्ट्रीय पेंशन योजना
- **गृह मामले**
  - जम्मू एवं कश्मीर में केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानून
- **वधि एवं न्याय**
  - ऑनलाइन विवाद समाधान
- **परविहन**
  - केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
  - राइट ऑफ़ फ़र्सट रफ़ियूज़ल लाइसेंसिंग के नियम
  - जहाज़ों का पुनर्रचकरण
- **बजिली**
  - मसौदा वदियुत (कानून में परिवर्तन, आवश्यक स्थिति और अन्य मामले) नियम, 2020
  - मसौदा वदियुत (लेट पेमेंट सरचारज) नियम, 2020
- **नवीन और अक्षय ऊर्जा**
  - ग्रिड कनेक्टेड वडि-सोलर हाइब्रिड परयोजना
- **कृषि**
  - तेल कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिये संशोधित प्रक्रया
- **जल संसाधन**
  - स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों में नल से सुरक्षित जलापूरति के लिये अभयान
- **शक्ति**
  - स्टार्स परयोजना



## कोवडि-19

### • उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय

केंद्रीय वित्त मंत्री नर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिये उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ उपायों की घोषणा की है।

### और पढ़ें

### • तरलता और ऋण प्रवाह

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोवडि-19 के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिये वित्तीय बाज़ार को तरलता समर्थन और ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा की। RBI द्वारा घोषित उपायों में नमिनलखिति शामिल हैं:

**तरलता:** RBI एक लाख करोड़ रुपए तक के ऑन टैप लक्षित दीर्घकालिक पुनर्खरीद संचालन (Targeted Long-Term Repurchase Operations-TLTRO) का संचालन 31 मार्च, 2021 तक करेगा।

- इस योजना के अंतर्गत बैंक एक फ्लोटिंग दर पर तीन वर्ष की अवधि के लिये धनराशि उधार ले सकते हैं जो रेपो दर से जुड़ा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत मलिन वाली धनराशि या तो:
  - बॉण्ड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश की जा सकती है, या
  - कुछ क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को ऋण देने के लिये उपयोग की जा सकती है।
- इन क्षेत्रों में कृषि, MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकलस तथा स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- RBI राज्य विकास ऋण (State Development Loans- SDL) में खुला बाज़ार परचालन (Open Market Operations- OMO) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एक विशेष मामले के रूप में करेगा। SDL राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियाँ हैं। OMO विभिन्न राज्यों द्वारा जारी SDL बास्केट के लिये संचालित किये जाएंगे

**नरियात समर्थन:** वर्ष 2016 में RBI ने नरियातकों की ऑटोमेटेड कॉशन/डी-कॉशन लसिटिंग शुरू कर दी थी। अगर नरियातकों का शपिंग बलि दो वर्ष से अधिक समय तक बकाया रहता है तो उन्हें कॉशन लसिटेड कथि जाएगा। ऐसे नरियातकों को विभिन्न प्रकार के ऋण नहीं दिये जाएंगे। एक बार बलि चुकाने पर नरियातक डी-कॉशन सूची में आ जाएंगे। RBI बैंकों के सुझाव पर भी कॉशन/डी-कॉशन कर सकता है। अब RBI कॉशन/डी-कॉशन लसिटिंग बंद कर देगा, हालाँकि बैंकों के सुझाव पर यह सूची जारी रहेगी। इससे नरियातकों को नरियात से प्राप्त होने वाली आय में फ्लेक्सबिलिटी सुनिश्चित होगी, क्योंकि मामलों के आधार पर कॉशन लसिटिंग की जाएगी।

**खुदरा एक्सपोजर के लिये कम जोखिमि भार:** एक्सपोजर (ऋण) में आमतौर पर 100% का जोखिमि-भार होता है, जो पूंजी की मात्रा को बनाए रखने का संकेत होता है। उच्च स्तर के जोखिमि-भार के परिणामस्वरूप अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इसलिये ऋण की लागत भी उच्च होती है। 5 करोड़ रुपए तक के नज्दी और छोटे व्यवसायों के लिये एक्सपोजर नयिमक खुदरा पोर्टफोलियो में शामिल होने के पात्र होते हैं और उनका जोखिमि-भार 75% होता है। RBI ने इस सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है।

### • पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2006

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिये गठित राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority- SEIAA) और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (Environmental Impact Assessment- EIA), 2006 में संशोधन कथि है।

- अधिसूचना का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं जैसे- बाँधों, खदानों, हवाई अड्डों और राजमार्गों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का नयिमन करना है।
  - परियोजनाओं की कुछ नरिदषित श्रेणियों को मूल्यांकन समिति के सुझाव पर SEIAA से पहले पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  - केंद्र सरकार द्वारा SEIAA और मूल्यांकन समितियों का गठन तीन वर्ष की नशित अवधि के लिये कथि जाता है।
- मई 2020 में कोवडि-19 को एक असाधारण परिस्थिति मानते हुए मंत्रालय ने मौजूदा SEIAA और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के लिये EIA अधिसूचना, 2006 में संशोधन कथि। संशोधन में SEIAA और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल में विस्तार की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया है।


## समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

### • वर्ष 2020-21 की दूसरी तमिही में CPI आधारित मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) आधारित मुद्रास्फीति (आधार वर्ष 2011-12) 2019 की दूसरी तमिही (जुलाई से सितंबर 2020) की तुलना में वर्ष 2020-21 की दूसरी तमिही में 6.9% हो गई। वर्ष 2019-20 की दूसरी तमिही में मुद्रास्फीति 3.4% (पछिले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में) थी और वर्ष 2020-21 (पछिली तमिही के मुकाबले) की पहली तमिही में 6.6% थी।

- जुलाई 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति 9.3% और सितंबर में 10.7% थी जो कविवर्ष 2020-21 की दूसरी तमिही में 9.7% दर्ज की गई। यह वर्ष 2019-20 की दूसरी तमिही में 3.5% की मुद्रास्फीति और वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में 9.2% की मुद्रास्फीति से अधिक है।
- वर्ष 2020-21 की दूसरी तमिही में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index- WPI) आधारित मुद्रास्फीति 0.4% थी जो कविवर्ष 2019-20 की दूसरी तमिही में 0.9% की मुद्रास्फीति से कम है और 2020-21 की पहली तमिही में -2.2% की मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक है।

### वर्ष 2020-21 की दूसरी तमिही में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियाँ (% परिवर्तन, वर्ष-दर-वर्ष)



//

### • पॉलिसी रेपो दर और रविर्स रेपो दर

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया। पॉलिसी रेपो दर (जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है) 4% पर बरकरार रही। MPC के अन्य नरिण्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- रविर्स रेपो दर (RBI जिस दर पर बैंकों से ऋण लेता है) 3.35% पर अपरवित्ति रही।
- सीमांत स्थायी सुवधि दर (जिस दर पर बैंक अतरिकित ऋण ले सकते हैं) और बैंक दर 4.25% पर अपरवित्ति रही।
- MPC ने आरथिक वृद्धि को बनाए रखने और अरथव्यवस्था पर कोवडि-19 के प्रभाव को कम करने के लिये मौद्रिक नीतिके समायोजन के रुख को बनाए रखने का नरिणय लिया।

## वित्त

### • GST मुवावजे की कमी को पूरा करने के लिये उधारी योजना

केंद्र सरकार ने वर्ष के दौरान GST मुवावजे के उपकर संग्रह में आई कमी को पूरा करने के लिये वर्ष 2020-21 के लिये अपनी उधारी योजना में संशोधन किया है।

- GST (राज्यों के लिये मुआवजा) अधिनियम [GST (Compensation to States) Act], 2017 के अंतर्गत अगर जुलाई 2017 से जून 2022 की अवधिके दौरान कसी भी वर्ष में राज्यों का GST राजस्व 14% से कम हो तो केंद्र सरकार को उन्हें मुआवजा देना होता है।
  - इसके लिये धनराशि जुटाने हेतु अधिनियम में लकजरी वस्तुओं और सनि वस्तुओं, जैसे- सगिरेट, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, कोयला और कुछ यात्री वाहनों तथा पेय पदार्थों पर GST मुआवजा उपकर लगाने का प्रावधान है।
- वर्ष 2020-21 में राज्यों के मुवावजे की तुलना में उपकर संग्रह कम है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की कमी हुई है। इस कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपए की अतरिकित उधारी का प्रस्ताव रखा है ताकि 'GST के कार्यान्वयन' से संबंधित कमी को पूरा किया जा सके।
- शेष राशि को जून 2022 के बाद उपकर संग्रह से चुकाया जाएगा। 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी का पुनर्भुगतान और उस पर मलिनने वाला ब्याज भुगतान भी भवषिय के उपकर संग्रह से चुकाया जाएगा।
  - इसके लिये GST परिषद ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार जून 2022 के बाद भी GST मुआवजे के लिये उपकर की वसूली कर सकती है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके।
- केंद्र सरकार की 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी को राज्यों (जनि राज्यों ने इस तरह से उधार लेने को मंजूरी दी) को उनके GST मुआवजा अनुदान के बदले में बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा।
  - राज्यों द्वारा उधार ली गई राशिके कारण उनका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा लेकिन वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिये अनुमोदित GSDP के 5% को राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर नहीं गनिा जाएगा।
- 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने से वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की सकल बाजार ऋण के लक्ष्य में 9.2% बढ़ोतरी होगी और यह 13.1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अतरिकित उधारी उसके राजकोषीय घाटे या सामान्य ऋण (यानी केंद्र और राज्य सरकार) के को प्रभावित नहीं करेगी।

### • स्टैंडअलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी

स्टैंडअलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी पर समिति (अध्यक्ष: मरिई चटर्जी) ने भारतीय बीमा नयामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- “माइक्रोइंश्योरेंस वह प्रणाली है जो नमिन आय वाले व्यक्तियों को मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखती है।”

समिति द्वारा दिये गए मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **स्टैंडअलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी:** समिति ने कहा कि मौजूदा बीमा कंपनियों माइक्रोइंश्योरेंस कारोबार अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनमें लेन-देन की लागत अधिक होती है और औसत प्रीमियम नमिन स्तरीय। उसने सुझाव दिया है कि स्टैंडअलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों की स्थापना की जानी चाहिए।
  - **वनियामक ढाँचा:** बीमा व्यवसाय को बीमा अधिनियम (Insurance Act), 1938 के अंतर्गत वनियमित किया जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि माइक्रोइंश्योरेंस के अध्याय को शामिल करने और उससे संबंधित शब्दों को स्पष्ट करने के लिये अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि इससे माइक्रोइंश्योरेंस उत्पादों को पेश करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी संस्थानों के विकास के लिये वनियामक परविश भी तैयार होगा।
  - **न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता:** बीमा अधिनियम, 1938 बीमा व्यवसाय के लिये न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान करता है। समिति ने सुझाव दिया है कि इस सीमा को 20 करोड़ रुपए या इससे कम कर दिया जाए।
  - **व्यवसाय का दायरा:** समिति ने सुझाव दिया है कि माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों को जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पाद पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **जोखिम आधारित पूंजीगत संरचना:** समिति ने सुझाव दिया है कि माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों को जोखिम आधारित पूंजीगत संरचना को लागू करना चाहिए। बीमाकर्त्ताओं को अपने व्यवसाय के आकार और रसिक प्रोफाइल के आधार पर पूंजी को बनाए रखना होगा। वर्तमान में बीमाकर्त्ता फ़ैक्टर आधारित सॉल्वेंसी सिस्टम का पालन करते हैं जिसमें कुल लायबिलिटी के फ़िक्स्ड मल्टीपल पर पूंजी को बरकरार रखा जाता है।
  - **माइक्रोइंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड:** समिति ने सुझाव दिया है कि पिचास करोड़ रुपए के शुरुआती संग्रह से एक फंड की स्थापना की जाए। माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों के लिये तकनीकी अवसंरचना के विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण और उत्पाद विकास जैसे कार्यों में इस फंड का उपयोग किया जा सकता है।
- **साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस**

IRDAI ने एक मानक साइबर लायबिलिटी बीमा उत्पाद की आवश्यकता पर अध्ययन के लिये कार्यदल का गठन किया है।

- पी. उमेश इस वर्कगि समूह के अध्यक्ष होंगे और इसमें आठ अन्य सदस्य शामिल होंगे। समूह के लिये संदर्भ शर्तों में नमिनलखिति शामिल हैं:
    - सूचना और साइबर सुरक्षा पर संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन।
    - साइबर स्पेस में लेन-देन संबंधी महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों का मूल्यांकन।
    - साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों और इन मामलों के लिये संभावित बीमा कवरेज की जाँच।
    - वर्तमान में उपलब्ध साइबर लायबिलिटी बीमा उत्पादों की जाँच।
    - साइबर लायबिलिटी बीमा के दायरे के संबंध में सुझाव देना।
  - “साइबर लायबिलिटी बीमा में व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों को साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों के लिये सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। इनमें पहचान की चोरी, अनाधिकृत लेन-देन, मालवेयर अतिक्रमण या साइबर एक्सटॉर्शन इत्यादि शामिल हो सकते हैं।”
    - उन जोखिमों को सामान्य लायबिलिटी बीमा द्वारा कवर नहीं किया जाता है जो शारीरिक चोट और संपत्ति की क्षति को कवर करते हैं।
- **नियामक सैंडबॉक्स के लिये फ्रेमवर्क**

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority- IFSCA) ने एक नियामक सैंडबॉक्स के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है।

वनियमि सैंडबॉक्स ऐसा परविश प्रदान करता है जिसमें बाज़ार के भागीदारों को एक सीमित परीक्षण अवधि के दौरान नयित्तरि तरीके से ग्राहकों के साथ नए फनितेक समाधानों (उत्पाद, सेवा और व्यापार मॉडल) की जाँच का मौका मिलता है। फ्रेमवर्क की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **भागीदारी:** पात्र संस्थाएँ नियामक सैंडबॉक्स में भाग ले सकती हैं और इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

1. RBI के साथ पंजीकृत संस्थाएँ, IRDAI, भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोर्ड तथा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण।
  2. स्टार्टअप इंडिया के साथ पंजीकृत स्टार्टअप्स।
  3. भारत में नगिमति और पंजीकृत कंपनियों।
  4. भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गफिट सट्टी) के आधार पर परचालन के साथ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के अनुपालन वाले क्षेत्रों में नगिमति और पंजीकृत कंपनियों।
- “वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) एक ऐसा अंतर-सरकारी नकिय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग (Terror Financing) से निपटने के लिये मानक नरिधारित करता है।”

- **परियोजना की पात्रता:** सैंडबॉक्स में भाग लेने वाले आवेदकों को नमिनलखिति प्रदर्शति करना होगा:

1. लाइव परीक्षण की आवश्यकता।
2. नविशकों, संस्थाओं या पूंजी बाज़ार को चहिनति करने योग्य लाभ।
3. समाधान के परीक्षण से होने वाले जोखमि से सुरक्षा।
4. व्यापक स्तर पर समाधान सुनिश्चति करने का इरादा।

- **वनियमि से छूट:** सैंडबॉक्स में भाग लेने वाली संस्थाओं को कुछ नयिमों के अनुपालन से छूट दी जा सकती है। यह व्यापक छूट हो सकती है या मामले के आधार पर दी जा सकती है। कति अपने ग्राहक को जानयि (Know Your Customer- KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नयिमों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- **परीक्षण:** संस्थाओं को उपयोगकर्ताओं को परीक्षण में शामिल करने से पहले उनसे सूचनापरक सहमति प्राप्त करनी चाहयि। परीक्षण की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी जसि अनुरोध के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। IFSCA कुछ स्थतियों में परीक्षण अवधि के समाप्त होने से पहले सैंडबॉक्स में भागीदारी को रद्द कर सकता है। यह नमिनलखिति स्थतियों में हो सकता है:

1. यदा संस्थाएँ जोखमि को कम करने के तरीकों को लागू नहीं करती।
2. यदा विह अन्य परसिमापन में चली जाती है।

#### • त्वरति प्रतक्रिया कोड की अंतर-संक्रयिता

RBI ने डजिटल भुगतान हेतु त्वरति प्रतक्रिया (Quick Response- QR) कोड अवसंरचना की अंतर-संक्रयिता के लयि नरिदेश जारी कयि है। यह उपाय त्वरति प्रतक्रिया पर गठति समति के सुझावों पर आधारति है।

- त्वरति प्रतक्रिया एक दो-आयामी बार कोड होता है जसि इमेजिंग उपकरणों जैसे- स्मार्टफोन द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसके ज़रयि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलस के बनि डजिटल भुगतान कयि जा सकता है। एक अंतर-संक्रयिता त्वरति प्रतक्रिया से उपभोक्ता कसी भी भुगतान एप का उपयोग कयि बनि भुगतान कर सकते हैं।
  - अंतर-संक्रयिता के बनि भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के त्वरति प्रतक्रिया कोड को सरिफ सहायक भुगतान एप से स्कैन कयि जा सकता है।
- RBI की अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान में दो अंतर-संक्रयिता त्वरति प्रतक्रिया कोड, UPI त्वरति प्रतक्रिया और भारत त्वरति प्रतक्रिया काम करते रहेंगे।
- कुछ मोबाइल वॉलेट प्रदाता जो कालिकाना (गैर-अंतर-संक्रयिता) त्वरति प्रतक्रिया कोड का उपयोग करते हैं, को 31 मार्च, 2022 तक अंतर संक्रयिता त्वरति प्रतक्रिया कोड में स्थानांतरति हो जाना चाहयि। PSO को नए कालिकाना (गैर-अंतर-संक्रयिता) त्वरति प्रतक्रिया कोड को शुरू करने की अनुमति नहीं है।

## पर्यावरण

#### • वायु गुणवत्ता प्रबंधन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग द्वारा अध्यादेश, 2020 जारी कयि गया। अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region- NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधति समस्याओं के लयि बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और समाधान करने के लयि आयोग के गठन का प्रावधान करता है।

#### और पढ़ें

#### • पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नयिम, 2020

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नयिम [Environment (Protection) Amendment Rules], 2020 को अधिसूचति कयि।

- यह पर्यावरण (संरक्षण) नयिम [Environment (Protection) Rules], 1986 में संशोधन करता है जसिका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषकों और उत्सर्जन मानदंडों को वनियमति करना है।
- 2020 संशोधन नयिम थर्मल पावर प्लांट के लयि (1 जनवरी, 2003 और 31 दसिंबर, 2016 के बीच स्थापति) नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के कण उत्सर्जन मानक की सीमा को 300 मलीग्राम प्रति सामान्य क्यूबिक मीटर से 450 मलीग्राम प्रति सामान्य क्यूबिक मीटर तक बढ़ाता है।

#### • खतरनाक और अन्य अपशष्टि संशोधन नयिम, 2020

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य अपशष्टि (प्रबंधन तथा ट्रांसबाउंडरी आंदोलन) संशोधन नयिम, 2020 को अधिसूचति कयि है। यह 2016 के नयिमों में संशोधन करता है जो खतरनाक अपशष्टि प्रबंधन के लयि एक रूपरेखा प्रदान करता है।

- खतरनाक अपशषिट ऐसा अपशषिट होता है जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरनाक हो सकता है।
- 2016 के नियमों के अनुसार, खतरनाक अपशषिट के पुनर्चक्रण, पूर्व-प्रसंस्करण और अन्य उपयोगी गतविधियों में शामिल श्रमिक कुछ लाभों के हकदार हैं, जैसे:
  - श्रमिकों को मान्यता और उनका पंजीकरण।
  - औद्योगिक कौशल विकास।
  - वार्षिक स्वास्थ्य और सुरक्षा निगरानी।
- 2020 के संशोधन नियम कुछ अन्य श्रमिकों को भी यह लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें खतरनाक अपशषिट के जनरेशन, हैंडलिंग, संग्रह, अभिग्रहण, उपचार, परिवहन, भंडारण, पुनः उपयोग, निपटान और प्रतिलाभ में संलग्न श्रमिक शामिल हैं।

#### • स्टॉकहोम कन्वेंशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध सात स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (Persistent Organic Pollutants- POP) को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये खतरनाक रसायनों के रूप में चिह्नित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया है।

#### और पढ़ें

## श्रम एवं रोज़गार

#### • कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम (Factories Act), 1948 न्यूनतम 10 या 20 श्रमिकों वाले कारखानों (वद्युत् के उपयोग पर आधारित) में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है।

- अधिनियम सरकार को यह अधिकार देता है कि वह 'सार्वजनिक आपातकाल' की स्थिति में किसी कारखाने या कारखानों के एक वर्ग को उसके कुछ प्रावधानों से छूट दे सकती है।
- 'सार्वजनिक आपातकाल' में ऐसा 'गंभीर आपातकाल' शामिल है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के चलते राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता है।
- अप्रैल 2020 में गुजरात सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य के कारखानों को अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई थी। इनमें नमिनलखित शामिल हैं:
  - साप्ताहिक कार्य के अधिकतम घंटों को 48 से बढ़ाकर 72 करना।
  - दैनिक कार्य के अधिकतम घंटों को 9 से बढ़ाकर 12 करना।
  - अनविराम वशिराम की अवधि को पाँच घंटे में एक बार से बदलकर छह घंटे में एक बार करना।
  - ओवरटाइम मज़दूरी की गणना के फार्मूले में संशोधन करना, मज़दूरी दर को दोगुने की बजाय मौजूदा मज़दूरी के अनुपात करना।
- यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2020 से 19 अक्टूबर, 2020 तक मान्य थी।
- इन अधिसूचनाओं को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायालय के समक्ष प्रश्न रखा गया है कि क्या कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने अधिनियम के अंतर्गत नरिदषिट 'सार्वजनिक आपातकाल' की स्थिति उत्पन्न की। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने यह दलील दी थी कि महामारी ने आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा की है और यह स्थिति 'आंतरिक अशांति के कगार' पर है।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मंदी से भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा इस तरह से प्रभावित नहीं हुई है कि उसकी शांति और अखंडता को खतरा हो। इसलिये न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया, चूँकि महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी 'आंतरिक अशांति' के योग्य नहीं है जो कि 'गंभीर आपातकाल' की स्थिति उत्पन्न करे और जो राज्य की सुरक्षा को खतरा में डाले।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून द्वारा प्रदत्त कार्य की मानवीय कार्य शर्तों और ओवरटाइम मज़दूरी के भुगतान से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 23 (ज़बरन श्रम के खिलाफ निषेध) के हिसाब से वशिधाभासी है।
- न्यायालय ने नरिदेश दिया कि ओवरटाइम मज़दूरी का भुगतान उन सभी श्रमिकों को किया जाए जो अधिसूचना जारी करने की तारीख से काम कर रहे हैं और इसकी दर सामान्य मज़दूरी की दोगुनी होगी।

#### • राष्ट्रीय पेंशन योजना

[नरिंतरक और महालेखा परीक्षक](#) (Comptroller and Auditor General- CAG) ने [राष्ट्रीय पेंशन योजना](#) (National Pension Scheme- NPS) पर अपनी प्रदर्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- NPS एक योगदान आधारित पेंशन योजना है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके स्वायत्त निकायों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिये अनविराम है।
- राज्य सरकारें और उनके स्वायत्त निकाय भी अपने कर्मचारियों के लिये विभिन्न अवसरों पर NPS संरचना को अपना सकते हैं।
- NPS को पेंशन फंड नयामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) द्वारा वनियमि कया जाता है।

CAG के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **योजना:** CAG ने कहा कि:
  - NPS के तहत कवर कथि गए कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सेवानवित्तलाभों को अंतमि रूप नहीं दथि गया है।
  - PFRDA अधनियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए NPS ग्राहकों को न्यूनतम रटिरन प्राप्त हो यह सुनश्चिति करने के लथि एक न्यूनतम बीमति रटिरन योजना अभी भी तैयार नहीं की गई है।
  - CAG ने सेवा नथिमों को अंतमि रूप देने और न्यूनतम बीमति रटिरन योजना प्रादान करने के लथि सुधारात्मक उपाय करने का सुझाव दथि।
  - इसके अतरिकित उसने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नधि/योजना का मूलयांकन दो वर्षों में एक बार (उच्च-स्तरीय वशिषज्ज समूह दवारा अनुशंसति) कथि गया है या उसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लथि कोई अन्य तरीका अपनाया गया है।
- **कार्यानवयन:** CAG ने कहा कि योजना बनाते समय यह सुनश्चिति करने के लथि कोई नथितरण स्थापति नहीं कथि गया था कि 100% कर्मचारी कवर कथि जाएँ।
  - यह सुझाव दथि गया कि सभी नोडल अधिकारियों और पात्र कर्मचारियों को NPS के अंतरगत पंजीकृत करने के लथि एक प्राणाली पेश की जाए। इसके अतरिकित उसने कहा कि कुछ मामलों में नोडल अधिकारियों ने ट्रस्टी बैंकों में अंशदान का प्राेषण नहीं कथि या देरी से प्राेषण कथि।
  - ट्रस्टी बैंक योजना के अंतरगत दनि-प्रातदनि नधि प्रावाह और बैंकगि सुवधिओं के लथि ज़मिेदार हैं। CAG ने PFRDA अधनियम में संशोधन का सुझाव दथि ताकि उसमें प्रात्येक स्तर पर वलिंब के लथि ज़मिेदारी, जवाबदेही और सजा को स्पष्ट रूप से प्राभाषति कथि जा सके और यह सुनश्चिति हो कि बैंक में अंशदान प्राेषति होता है और समय पर ग्राहकों के खालों में जमा कथि जाता है।
- **नगिरानी:** CAG ने कहा कि वर्ष 2009 में यह नरिणय लथि गया था कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/वभागों में NPS के कार्यानवयन का नरीक्षण करने के लथि समतियों का गठन कथि जाए।
  - संयुक्त सचवि और अन्य अधिकारी इनके सदस्य होंगे। उसने कहा कि वर्ष 2012-13 और वर्ष 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालयों/वभागों में ऐसी समतियाँ नहीं थी।

## गृह मामले

### • जममू-कश्मीर में केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानून

केंद्र सरकार ने जममू-कश्मीर केंद्रशासति प्रादेश में 14 केंद्रीय कानूनों को संशोधनों के साथ लागू करने के लथि अधसूचना जारी की है।

- इन कानूनों में ट्रेड यूनयिन अधनियम, 1926; कारखाना अधनियम, 1948 और औद्योगकि वविाद अधनियम, 1947 शामिल हैं। संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - कारखाना अधनियम के अंतरगत महिलाओं को उनकी सहमति से शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति
  - औद्योगकि वविाद अधनियम के अंतरगत अपराधों के नपिटान का प्रावधान।
- इसके अतरिकित 37 कानूनों (जो पूरव में जममू-कश्मीर राज्य में लागू थे) को संशोधनों के साथ केंद्रशासति प्रादेश में लागू कथि गया है, या कुछ मामलों में रद्द कथि गया है।
  - इनमें से कुछ संशोधनों और रद्द कथि गए कानूनों का उद्देश्य उन प्रावधानों को हटाना है जो सरिफ स्थानीय नागरिकों को जममू-कश्मीर क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की अनुमति देते हैं।
  - कुछ अन्य संशोधति कानून वस्तु और सेवा कर की वसूली, कृषि सुधारों तथा वधिानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधति हैं।
- सरकार ने जममू-कश्मीर पंचायती राज अधनियम, 1989 में भी संशोधन कथि है ताकि केंद्रशासति प्रादेश में प्रात्येक ज़िले (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो नगर पालिका या नगर नगिम में शामिल हैं) में ज़िला वकिस प्राषिद नामक नरिवाचति नकियाँ का गठन कथि जा सके।

## वधि एवं न्याय

### • ऑनलाइन वविाद समाधान

भारत में ऑनलाइन वविाद समाधान पर फ्रेमवर्क बनाने के लथि नीति आयोग ने एक वशिषज्ज समति का गठन कथि गया था। इस समति ने चर्चा के लथि मसौदा रपिरट प्रास्तुत की है।

समति ने वशिष रूप से कोवडि-19 के बाद लॉकडाउन के मद्देनज़र मौजूदा नथिमों के उपयोग और उनमें संशोधन के माध्यम से ऑनलाइन वविाद समाधान (Online Dispute Resolution- ODR) के लथि एक कार्यानवयन ढाँचे की आवश्यकता पर ज़ोर दथि है।

- ODR अनेक प्राकार के संभावति लाभों को प्रास्तावति करता है, जैसे:
  - लागत में कमी (क्योंकि इसमें वविाद में शामिल पक्षों को उपस्थति होने की आवश्यकता नहीं होती और कानूनी शुल्क भी कम होता है)।
  - जल्द वविाद नविरण।
  - वविाद सुलझाने में पक्षपात का कम होना, जो कशारीरकि रूप से उपस्थतिके कारण उत्पन्न हो सकता है।
- हालाँकि ODR को अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता का अभाव।
  - ODR सेवाओं के संबंध में जागरूकता और वशिवास की कमी।
  - पुरानी कानूनी प्राक्रियाएँ जनिमें शारीरकि उपस्थतिके आवश्यकता होती हैं।

- गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ।
- **डिजिटल अवसंरचना तक पहुँच:** समिति ने देखा कि देश में ODR कई दूसरे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निर्भर है, जैसे- डिजिटल अवसंरचना तैयार करने के लिये डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, डिजिटल साक्षरता के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और न्यायपालिका द्वारा ईकोर्ट परियोजना।
- **ODR के एडॉप्शन और विश्वास में सुधार:** वर्तमान में MSME मंत्रालय द्वारा संचालित समाधान पोर्टल का उपयोग सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों से संबंधित विवादों को ऑनलाइन सुलझाने के लिये किया जाता है। हालाँकि यह केवल MSME को किये जाने वाले भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है।
  - समिति ने सुझाव दिया कि MSME से संबंधित सभी विवादों को शामिल करने के लिये इस पोर्टल का विस्तार किया जा सकता है।
  - यह देखते हुए कि सरकार मुकदमेबाजी (देश में 46% मुकदमों में सरकार एक पक्ष है) के लिये सबसे बड़ा पक्ष है, उसने सुझाव दिया कि ODR को सरकारी मुकदमों की कुछ श्रेणियों के लिये अनिवार्य किया जा सकता है।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** समिति ने सुझाव दिया कि ODR को चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाना चाहिये।
  - पहले चरण में कोवडि-19 से संबंधित विवादों को हल करने के लिये ODR को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिये और इसके लिये डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना चाहिये, ODR पर विश्वास बनाए रखना चाहिये और ODR के लिये कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिये।
  - तीसरे और अंतिम चरण में सरकार तथा न्यायपालिका को ODR को विवाद समाधान का मुख्य आधार बनाने पर ध्यान देना चाहिये।

## परविहन

### • केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अनेक संशोधनों को जारी किया है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

#### नेक व्यक्ता का संरक्षण

- नेक व्यक्ता (Good Samaritan) वह है जो दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ता को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यह सहायता सद्भावनापूर्ण, स्वैच्छिक तथा किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिये।
- अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ता को किसी प्रकार की चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पीड़ित को सहायता प्रदान करने में लापरवाही के आधार पर नेक व्यक्ता पर दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

#### संशोधित नियम में नमिनलखिति प्रावधान हैं:

- एक नेक व्यक्ता जिसने पुलिस को मोटर दुर्घटना की सूचना दी है या दुर्घटना के शिकार व्यक्ता को अस्पताल पहुँचाया है उससे पुलिस या अस्पताल कोई अन्य मांग नहीं करेगा और उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।
- कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ता उसे अपना व्यक्तागत विवरण देने के लिये मजबूर नहीं करेगा। वह नेक व्यक्ता स्वैच्छा से पुलिस अधिकारी को विवरण दे सकता है।
- उसे अस्पताल में पीड़ित के लिये प्रवेश संबंधी किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने या उपचार के लिये कोई भी लागत वहन करने के लिये नहीं कहा जाएगा।
- अगर वह नेक व्यक्ता गवाह बनने के लिये सहमत होता है तो उससे उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर पूछताछ की जाएगी। वह पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने का विकल्प चुन सकता है।
- उसे आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक शपथ पत्र पर साक्ष्य देने की अनुमति होगी।

**वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व:** मंत्रालय ने मोटर वाहन पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व को शामिल करने के लिये 1989 के नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में एक नया भाग शामिल किया गया है जो कि स्वामित्व के प्रकार का उल्लेख करता है। इन श्रेणियों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- स्वायत्त निकाय।
- केंद्र सरकार।
- ड्राइविंग स्कूल।
- दवियांगजन।
- फर्म।
- व्यक्ता।
- पुलिस विभाग।
- कई स्वामित्व।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में मसौदा संशोधन भी जारी किया है और इसमें अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने की शर्तें शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **आवश्यक दस्तावेज:** वर्तमान में एक अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit- IDP) के आवेदन में वैध ड्राइविंग लाइसेंस, चिकित्सा प्रमाणपत्र, भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण, पासपोर्ट का वैध प्रमाण और वैध वीजा प्रमाण जैसे कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मसौदा संशोधनों में चिकित्सा प्रमाणपत्र और वीजा प्रमाण की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
- **शुल्क:** वर्तमान में एक IDP के आवेदन के साथ 500 रुपए का शुल्क लगता है। मसौदा संशोधन में इस शुल्क को बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया



है।

- **आवेदन पत्र का वरिष्ठता:** वर्तमान में आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह नरिदष्टि करना होता है कि क्या उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है तथा अयोग्यता के कारण क्या थे। मसौदा संशोधनों में कहा गया है कि आवेदक को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या उसे वर्तमान में देश में वाहन चलाने के लिये प्रतर्बिधति किया गया है अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है।

#### • राइट ऑफ फर्स्ट रफ़्यूज़ल लाइसेंसिंग के नयिम

जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिये नविदा प्रक्रिया के माध्यम से जहाज़ों के चार्टरिंग (Chartering) हेतु राइट ऑफ फर्स्ट रफ़्यूज़ल (Right of First Refusal) के नयिमों की समीक्षा की है।

- संशोधति दशा-नरिदेशों के अनुसार, जहाज़ों की चार्टरिंग प्राथमकता नमिनानुसार होगी:
  - भारत में नरिमति, भारतीय ध्वजांकति (भारत में पंजीकृत) और भारतीय स्वामति वाले।
  - वदिश में नरिमति, भारतीय ध्वजांकति और भारतीय स्वामति वाले।
  - भारत में नरिमति, वदिशी ध्वजांकति और वदिशी स्वामति वाले जहाज़।
- शपिगि महानदिशालय द्वारा नया परपितर जारी करने की तारीख तक भारत में पंजीकृत सभी जहाज़ों को भारत में नरिमति माना जाएगा और ये पहली श्रेणी में आएंगे।
- ऐसे चार्टरड जहाज़ों के लिये लाइसेंस की अवधि जहाज़ नरिमाण की अवधतिक सीमति रहेगी, जैसा कि जहाज़ नरिमाण अनुबंध में उल्लिखित है।
- संशोधति दशा-नरिदेशों से घरेलू जहाज़ नरिमाण और शपिगि उद्योगों को प्रोत्साहन मलिया।

#### • जहाज़ों का पुनरचकरण

जहाज़रानी महानदिशालय को जहाज़ों का पुनरचकरण अधनियिम (Recycling of Ships Act), 2019 के अंतरगत जहाज़ों के पुनरचकरण हेतु राष्ट्रिय प्राधकिरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रिय प्राधकिरण अधनियिम के अंतरगत जहाज़ों के पुनरचकरण से संबंधति सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नरिक्षण करेगा।

- अधनियिम के अनुसार, जहाज़ों को अधिसूचित प्रतर्बिधति खतरनाक सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- राष्ट्रिय प्राधकिरण नरिधारति आवश्यकताओं को सत्यापति करने के लिये आवरती सर्वेक्षण करेगा।
- प्रत्येक नए जहाज़ के मालकि को राष्ट्रिय प्राधकिरण में खतरनाक सामग्रियों की सूची (Inventory) को लेकर एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन करना होगा। इसके अतरिकित जहाज़ के मालकि को अपने जहाज़ के पुनरचकरण से पहले पुनरचकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये राष्ट्रिय प्राधकिरण में आवेदन करना होगा।
- राष्ट्रिय प्राधकिरण के नरिणयों के खलिफ अपील की सुनवाई नरिणय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार से की जा सकती है।

## बजिली

#### • मसौदा वदियुत (कानून में परविरतन, आवश्यक स्थिति और अन्य मामले) नयिम, 2020

वदियुत मंत्रालय ने मसौदा वदियुत (कानून में बदलाव, आवश्यक स्थिति और अन्य मामले) नयिम [Draft Electricity (Change in Law, Must-run status and other Matters) Rules, 2020], 2020 जारी किया है। वदियुत अधनियिम (Electricity Act), 2003 के अंतरगत मसौदा नयिमों का उद्देश्य पास थ्रू (Pass Through) को आसान बनाना और खरीदारों द्वारा मांग में कमी के लिये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को मुआवज़ा देना है।

“पास थ्रू का मतलब ऐसी प्रणाली से है जिसमें किसी अतरिकित व्यय को लागत में जोड़ा जाता है और उसे उपभोक्ता से वसूला जाता है।”

मसौदा नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **कानून में परविरतन पर टैरफि समायोजन:** कानून में किसी भी बदलाव की स्थिति में प्रभावति पक्ष को मुआवज़ा देने के लिये टैरफि को समायोजित किया जाएगा।
  - कानूनी स्थिति में परविरतन के कारण अक्सर अतरिकित पूंजीगत व्यय होता है जो टैरफि को प्रभावति करता है।
  - मुआवज़े का उद्देश्य प्रभावति पक्ष की आर्थिक स्थिति को बहाल करना होगा जैसा कि कानून में परविरतन नहीं हुआ है।
  - बजिली की प्रतियूनटि के आधार पर पास थ्रू की अनुमति दी जाएगी और कानूनी स्थिति में परविरतन के 30 दिनों के बाद यह अपने आप लागू हो जाएगी।
  - पास थ्रू नरिधारति करने के फार्मूले का उल्लेख वडिगि दस्तावेज़ या पावर परचेज़ एग्रीमेंट (Power Purchase Agreement- PPA) में किया जाना चाहिये। अन्यथा सरकारी दशा-नरिदेशों में नरिधारति फार्मूले का उपयोग पास थ्रू नरिधारति करने के लिये किया जा सकता है।
  - राज्य वदियुत नयिमक आयोग को पास थ्रू के 60 दिनों के भीतर दावे के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन उत्पादक और खरीदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों पर आधारित होगा।
- **मसूदा-रन बजिली संयंत्र:** बजिली बेचने के PPA वाले सभी अक्षय ऊर्जा बजिली संयंत्रों (जैसे वडि, वडि-सोलर और हाइड्रो) को मसूदा-रन बजिली संयंत्र के रूप में माना जाएगा।
  - बजिली ग्रडि में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या ग्रडि की सुरक्षा से संबंधति कारणों से मसूदा-रन बजिली संयंत्र को कटौती या

वनियिमन का पात्र बनाया जाएगा।

- किसी कारण से कटौती होने पर खरीदारों को उत्पादक को मुआवज़ा देना होगा। मुआवज़े की दर PPA में उल्लिखित होनी चाहिये अन्यथा यह PPA की प्रतियूनटि दर का 75% होगा।

■ **वतिरण कंपनियों के लिये बजिली खरीद हेतु ट्रेडिंग लाइसेंस:** मध्यस्थ खरीदार को बडिगि प्रक्रिया के माध्यम से वतिरण कंपनियों से बजिली खरीदने की अनुमति होगी। अगर अलग-अलग दरों पर कई आपूर्तिकर्त्ता मौजूद हैं तो सभी बोलियों के औसत को अंतिम बोली माना जाएगा।

#### • **मसौदा वदियुत (लेट पेमेंट सरचार्ज) नयिम, 2020**

ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) ने मसौदा वदियुत (लेट पेमेंट सरचार्ज) नयिम [Draft Electricity (Late Payment Surcharge) Rules], 2020 जारी किया है।

- वदियुत अधिनयिम (Electricity Act), 2003 के अंतर्गत जारी नयिमों का उद्देश्य नमिनलखिति द्वारा लेट पेमेंट सरचार्ज को वनियिमति करना है:
  - वतिरण लाइसेंसधारी को उत्पादक कंपनी से।
  - ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्त्ता को ट्रांसमिशन लाइसेंसि से।
- खरीदी गई बजिली या ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग पर देय तथि के बाद मासिक शुल्क चुकाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाता है। यह देय तथि के बाद सभी बकाया भुगतानों पर लागू होगा।
- सरचार्ज की दर लागू बैंक दर या बजिली की आपूर्तिया ट्रांसमिशन के समझौते में प्रदान की गई दर से कम होगी।
  - बैंक दर से तात्पर्य भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष के धन-आधारति ऋण की सीमांत लागत की दर और 500 आधार अंक है।
- यदि लागू दर समझौते में प्रदान की गई दर से कम है, तो नयित तथि से एक महीने बाद दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि होगी। लेट पेमेंट सरचार्ज की अधिकतम सीमा बैंक दर और 200 आधार अंक होगी।
- वतिरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी को या ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्त्ता द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंसि को कयि जाने वाले सभी भुगतान लेट पेमेंट सरचार्ज में समायोजति कयि जाएंगे।

## नवीन और अक्षय ऊर्जा

#### • **ग्रडि कनेक्टेड वडि-सोलर हाइब्रिड परियोजना**

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) ने ग्रडि कनेक्टेड वडि-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं से बजिली की खरीद के लिये प्रतस्पर्धी और पारदर्शी टैरफि-आधारति बडिगि प्रक्रिया के आधार पर एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु दशिा-नरिदेश जारी कयि। यह मई 2018 में जारी वडि-सोलर हाइब्रिड नीति के अनुसार है।

इस नीति का उद्देश्य ग्रडि-कनेक्टेड वडि-सोलर हाइब्रिड परियोजना को बेहतर ग्रडि स्थरिता प्राप्त करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करना है। दशिानरिदेशों की कुछ प्रमुख वशिषताएँ हैं:

- **प्रासंगकिता:** दशिा-नरिदेश एक साइट पर 50 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाले हाइब्रिड परियोजनाओं से बजिली की दीर्घकालिक खरीद पर लागू होंगे जहाँ किसी एक संसाधन (वडि या सोलर) की रेटेड क्षमता कम-से-कम 33% होनी चाहिये।
- **बडि संरचना और प्रक्रिया:** बडि को एक साइट पर न्यूनतम 50 मेगावाट की परियोजना क्षमता के लिये बोली लगाने की अनुमति होगी। बडि द्वारा उद्धृत कयि गया टैरफि बडिगि प्रक्रिया का मानदंड होगा। बडि इनमें से किसी भी प्रकार की टैरफि-आधारति बडिगि प्रदान करेगा:
  - 25 वर्ष या उससे अधिक समय के लिये रुपए/किलोवाट आवर में नयित टैरफि
  - पूर्व नरिधारति वार्षिक वृद्धि के साथ रुपए/किलोवाट आवर में वृद्धिशील टैरफि और जिस वर्ष से यह वृद्धि लागू होगी।
  - खरीददार (वतिरण कंपनी) अंतिम चयन के लिये ई-रविर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है।
- **पावर प्रचेज एग्रीमेंट:** चयनति बडि पावर प्रचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा।
  - PPA की न्यूनतम अवधिनरिधारति कमीशन तथि से 25 वर्ष होनी चाहिये।
  - यदि चयनति बडि एक एकल कंपनी है तो परियोजना में कंपनी की शेरधारति बना पूर्व अनुमोदन के वाणज्यिक संचालन की तथि के बाद पहले वर्ष में 51% से कम नहीं होनी चाहिये।

## कृषि

#### • **तेल कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिये संशोधति प्रक्रिया**

केंद्रीय मंत्रमंडल ने वर्ष 2013 में शुरू कयि गए इथेनॉल मशरति पेट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल वपिणन कंपनियों (Oil Marketing Companies- OMC) से इथेनॉल की खरीद हेतु संशोधति प्रणाली को मंजूरी दी है।

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत OMC प्रबंधति कीमत पर आसवन (Distilleries) से इथेनॉल खरीदती है और अधिकतम 10% तक इथेनॉल का मशिरण कर पेट्रोल बेचती है।
- यह कार्यक्रम गन्ना आधारति कच्चे माल से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है और इसका उद्देश्य देश में चीनी उत्पादन को कम करना है।
- पूर्व प्रणाली में OMC से यह अपेक्षा की जाती रही है कवि उच्च सरकरा सामग्री (गन्ने के रस के बाद शरि) का उपयोग कर इसके स्रोतों से बनने

वाले इथेनॉल की खरीद को प्राथमिकता दें।

- नई प्रणाली में स्थानीय उद्योगों को उचित अवसर देने और राज्यों में इथेनॉल की आवाजाही को कम करने का प्रयास किया गया है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत OMC वभिन्न स्रोतों से इथेनॉल खरीद की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करेंगी। मापदंड में परिवहन लागत और उपलब्धता जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा जो राज्य की सीमाओं के भीतर लागू होगा।

## जल संसाधन

### • स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों में नल से सुरक्षित जलापूर्ति के लिये अभियान

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) ने 100 दविसीय अभियान शुरू किया है ताकि देश के स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों में नल से सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- यह अभियान [जल जीवन मिशन](#) (Jal Jeevan Mission- JJM) के अंतर्गत आता है जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जलापूर्ति हेतु नल का कनेक्शन प्रदान करना है।

अभियान की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **घटक:** अभियान के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - आँगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, आदवासी छात्रावासों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक शौचालयों में नल से जलापूर्ति का प्रावधान।
  - मलिन जल का उपचार और पुनः उपयोग ताकि पर्यावरण स्वच्छ बना रहे।
  - वितरण बंदियों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना।
  - संचालन और रख-रखाव के लिये मानव संसाधन का विकास।
- **प्रशासन:** राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इस अभियान का नेतृत्व करने वाले नोडल विभाग होंगे। इसमें ग्राम पंचायतें और उनकी उप-समितियाँ शामिल होंगी। साथ ही इसमें शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास तथा आदवासी कल्याण विभाग भी शामिल होंगे।
  - सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की सुविधा का संचालन ग्राम पंचायत और उसकी उप-समिति जैसे- ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा और वही उनका रख-रखाव भी करेंगी।
- **कार्यान्वयन:** वभिन्न स्थितियों की कार्यान्वयन रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - नल से जलापूर्ति हेतु चालू कनेक्शन द्वारा लंबी अवधि के लिये पर्याप्त और सुरक्षित जल प्रदान करना।
  - ऐसे नल लगे स्थान जहाँ पानी नहीं आता, पानी की आपूर्ति में सुधार करना।
  - ऐसे स्थान जहाँ के लिये नल का कनेक्शन प्रस्तावित नहीं है, जल आपूर्ति की स्टैंडअलोन योजनाओं का प्रावधान जैसे- ट्यूबवेल। साथ ही शुद्ध जलापूर्ति और शत प्रतिशत नल से पानी की व्यवस्था हेतु चालू कनेक्शन दिया जाना।

## शिक्षा

### • स्टार्स परियोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना (Strengthening Teaching-Learning and Results for States- STARS Project) को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

[और पढ़ें](#)